केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अखिल भारतीय महासंघ

बनाम

भारत संघ और अन्य

22 फ़रवरी, 1999

[के. वेंकटस्वामी, जी.बी. पटनायक और एम. जगन्नाध राव, जे.जे.]

सेवा कानून:

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह ए (संशोधन) नियम: नियम 18 ।

पदोन्नति-फीडर पद-कोटे के लिए- किसी विशेष फीडर श्रेणी के पदोन्नत अधिकारी की सेवानिवृत्ति-रिक्ति उत्पन्न होने के कारण- भरने का-अभिनिर्धारितः जरूरी नहीं कि इसे केवल उस विशेष फीडर श्रेणी के अधिकारी द्वारा ही भरा जाए।

पदोन्नति-फीडर पद-कोटा नियम- से विचलन- वैधता-तीन फीडर श्रेणियों से पदोन्नति के लिए निर्धारित 6:1:2 का कोटा नियम-एक विशेष फीडर श्रेणी से की गई अतिरिक्त पदोन्नति-असंतुलन को सही करने के लिए अन्य दो फीडर श्रेणियों से अधिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया, जिससे कोटा नियम से विचलन हो रहा है-अभिनिर्धारित: ऐसा विचलन अनुचित नहीं है।

पदोन्नति-फीडर पद-कोटे के लिए -अभिनिर्धारित: पदोन्नति करते समय कोटा नियम का पालन करना होगा --- यदि कोटा नियम में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, तो यह संबंधित पार्टी पर निर्भर करता है कि वह इसके लिए मामला बनाए और ऐसे संशोधन के लिए उचित कदम उठाए-कोटा नियम में बदलाव के लिए कोई निर्देश जरूरी नहीं है।

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (समूह ए) सेवा का गठन करने वाली समूह ए सेवाओं में पदों पर पदोन्नति के लिए फीडर श्रेणियां हैं:-

(ए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह बी;

(बी) सीमा शुल्क अधीक्षक (पी), समूह बी और

(सी) (i) सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता, समूह बी;

(डी) (ii) सीमा शुल्क परीक्षकों के फीडर-कैडर से 50:50 के अनुपात में पदोन्नत।

केंद्र सरकार ने अधिकारियों के विभिन्न समूहों की शिकायतों को हल करने के लिए दिनांक 8.6.1989 को कुछ प्रस्ताव रखे, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया। इन प्रस्तावों के अनुसार, समूह ए के पदों की रिक्तियों को 6:1:2 के कोटे में भरा जाना था। उक्त प्रस्तावों के पैराग्राफ 6.3 में यह भी प्रावधान था कि आगे की रिक्तियों को एक 'चक्र' के आधार पर भरा जाना था। उक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह ए (संशोधन) नियम, 1998 तद्नुसार जारी किए गए थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि समूह ए पदों में 6:1:2 का कोटा हर समय बनाए रखा जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि समूह ए में 9 पदोन्नत अधिकारियों में से 6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होने चाहिए; प्रस्तावों के पैराग्राफ 4 के अनुसार, जिसमें पदों का उल्लेख है न कि रिक्तियों का; जब भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित किसी पदोन्नत अधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण समूह ए में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से किसी एक पदोन्नत अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए, न कि श्रेणी (बी) या (सी) से एक पदोन्नत अधिकारी द्वारा। केंद्र सरकार ने अन्य दो फीडर श्रेणियों से अधिक अधिकारियों को *तदर्थ* आधार पर पदोन्नत करके 6:1:2 के कोटा नियम से विचलन किया था; और यह कि 6:1:2 का कोटा पदों पर लागू होता है, रिक्तियों पर नहीं।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1. रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हर समय समूह ए पदों में प्रत्येक 9 समूह ए पदों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 6 पदोन्नतियों का अनुपात होना चाहिए। ऐसा आशय दिनांक 8.6.1989 के प्रस्तावों के पैराग्राफ 4 या पैराग्राफ 6.1 या

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह ए (संशोधन) नियम,

1998 का पालन नहीं करता है।। [819-एच; 820-ए]

1.2. दिनांक 8.6.1989 के प्रस्तावों के पैराग्राफ 4 का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समूहों के बीच 6:3 का कोटा तय करना है और सीमा शुल्क विभाग में दो उप-श्रेणियों के बीच 1:2 का एक और उप-कोटा तय करना है। उक्त पैराग्राफ 4 का आशय यह कभी नहीं था कि समूह ए में प्रत्येक 9 पदों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से हमेशा 6 पदोन्नति होनी चाहिए। [820-डी-ई]

2.1. दिनांक 8.6.1989 के प्रस्तावों के पैराग्राफ 6.1 में यह कहीं नहीं कहा गया है कि समूह ए में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पदोन्नत अधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों को केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क के किसी अन्य अधिकारी की पदोन्नति से भरा जाना है। [820-जी]

2.2. दिनांक 8.6.1989 के प्रस्तावों के पैराग्राफ 6.3 स्पष्ट रूप से रिक्तियों का उल्लेखित करता है। पैराग्राफ 4, 6.1, 6.3 के बीच कोई विरोध नहीं है। दूसरी ओर, वे एक सामंजस्यपूर्ण योजना बनाते हैं। एक बार जब तीन फीडर श्रेणियों के अधिकारियों को समूह ए में पदोन्नत कर दिया जाता है, तो समूह ए की पदोन्नत श्रेणी में उनके समूह बी के जन्मचिह्न समाप्त हो जाते हैं। तब केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पदोन्नत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से समूह ए में बनी रिक्ति को उसी समूह के किसी अन्य

अधिकारी द्वारा भरने का कोई सवाल ही नहीं होगा। ऐसा इसलिए है,

क्योंकि एक बार समूह ए में पदोन्नत होने के बाद, फीडर चैनल की पहचान जहां से उन्हें पदोन्नत किया जाता है, का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। [821-बी]

2.3. *आर.के. सभरवाल* का मामला तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह मामला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित है, जिनके लिए सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 335 में विशेष प्रावधान किया गया है। पदोन्नति पर भी जन्मचिह्न बने रहते हैं, क्योंकि पदोन्नति श्रेणी में कुछ विशेष संख्या में पद केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से भरे जाने के लिए आरक्षित होते हैं। लेकिन भर्ती या पदोन्नति के लिए दो फीडर चैनलों के बीच सामान्य कोटा नियमों के मामले में ऐसा नहीं है। [821-सी-डी-ई]

परमजीत सिंह बनाम राम राखा, **(1982) 3 एस सी सी 19**; *पंजाब राज्य बनाम डॉ. आर.एन. भटनागर,* **[1998] 6 स्केल 642 और** *जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा*, **[1974] 1 एससीआर 771**, **पर निर्भर किया गया।**

आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, **[1995] 2 एस सी सी 745, को अनुपयुक्त ठहराया गया।**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अखिल भारतीय महासंघ बनाम भारत संघ

[1997] 1 एस सी सी 520 और *गगन बक्शी यादव बनाम भारत संघ,* **जे टी (1996) 5 एस सी 118, काे सन्दर्भित किया गया है।**

3. याचिकाकर्ताओं की केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी से समूह ए में अतिरिक्त पदोन्नति हुई है और इसलिए, इस असंतुलन को ठीक करने के लिए अन्य दो फीडर चैनलों से अधिक अधिकारियों को *तदर्थ आधार* पर पदोन्नत किया गया है। 6:1:2 के कोटा नियम से इस तरह का विचलन अनुचित नहीं कहा जा सकता। [823-एच; 824-ए]

4. जब तक पदोन्नति के लिए एक विशेष कोटा एक नियम द्वारा तय किया जाता है, तब तक इसका पालन करना होगा जब तक कि सम्बन्धित नियमों में उचित संशोधन द्वारा उसमें निर्धारित कोटा बदल न दिया जाए। यदि कोटा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो यह सम्बन्धित पक्ष पर निर्भर है कि वह इसके लिए मामला बनाए और ऐसे संशोधन के लिए उचित कदम उठाए। इस संबंध में कोई निर्देश जारी करना इस न्यायालय का काम नहीं है। [824-एच; 825-ए]

वी.बी. बादामी बनाम मैसूर राज्य, **[1976] 2 एस सी सी 901, पर निर्भर किया गया।**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: 1988 की रिट याचिका (सी) संख्या 306 में I.A.Nos.4.6-8 ।

संग

रिट याचिका (सी) संख्या 651/1997

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत)।

मैसर्स खेतान एण्ड कम्पनी के लिए सुश्री श्यामला पप्पू, एम.एन. कृष्णमणि, ए.के. गांगुली पी.पी. राव, राकेश द्विवेदी, डॉ. राजीव धवन, अनूप चौधरी, (सुमन जे.खेतान)। एम.आर. कृष्णमूर्ति, जी. देवांसी, अशोक के. महाजन, सुश्री चंदन रामामूर्थी, आर.सी. परीजा, देबाशीष मोहंती, जे.आर. दास, अमितेश कुमार, सुश्री विमला सिन्हा, एल.आर. सिंह, देव एच. सोभानी, (व्यक्तिगत रूप से), अशोक के. श्रीवास्तव, पी. परमेश्वरन और वी.के. वर्मा उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का फैसला सुनाया गया

एम. जगन्नाथ राव, जे. द्वारा। हमारे समक्ष रिट याचिका- डब्ल्यू.पी. 1997 का 651 और 1988 की पिछली रिट याचिका संख्या 306 में धारक संख्या आईए 4, 6 से 8 वाले कुछ अंतर्वर्ती आवेदन दायर किये गये। उक्त डब्ल्यू.पी. 1988 की संख्या 306 को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.1996 द्वारा *केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अखिल भारतीय महासंघ बनाम भारत संघ,* (1997) (1) एस सी सी 520 निपटाया गया था। कुछ उत्तरवर्ती घटनाओं से व्यथित होकर, विभिन्न पक्षों ने याचिकाएं और आई.ए.एस. दायर की हैं।

इन मामलों में विवादों का आकलन करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित

तथ्यों को सामने रखना आवश्यक है:

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (समूह ए) सेवा का गठन करने वाली समूह ए सेवाओं में पदों पर पदोन्नति के लिए फीडर श्रेणियां हैं:

(ए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक, समूह बी (जिसमें निचले संवर्ग के सभी पदोन्नत लोग शामिल हैं;

(बी) सीमा शुल्क अधीक्षक (पी) समूह बी (पुनः सभी पदोन्नति निचले संवर्ग से); और

(सी) (i) सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता समूह बी (यूपीएससी के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए अधिकारी शामिल हैं);

(ii) सीमा शुल्क परीक्षकों के फीडर-संवर्गों से 50:50 के अनुपात में पदोन्नत।

पिछली रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, डब्ल्यू.पी. 1988 की संख्या 306, लम्बे समय से अधिकारियों के विभिन्न समूहों की चली आ रही आपत्तियों को हल करने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए दिनांक 8.6.1989 को कुछ प्रस्तावों के साथ भारत सरकार आगे आई। इस न्यायालय ने इन प्रस्तावों पर सभी पक्षों और उनके विचारों को सुना और उन्हें स्वीकार कर लिया। जहाँ तक तृतीय फीडर श्रेणी(सी) में दो उप-श्रेणियों के बीच परस्पर विवाद का सम्बन्ध है -अर्थात् पदोन्नत और सीधी

भर्ती सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता समूह बी, यह *गगन बक्शी यादव बनाम भारत संघ,* जे.टी. के निर्णय। (1996) 5 एससी 118 में कहा गया, से शासित होगा। तीनों फीडर समूह (ए), (बी) और (सी) से समूह ए पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में यह सहमति हुई कि भारत सरकार के दिनांक 8.6.89 के प्रस्ताव मान्य होंगे। उन प्रस्तावों के तहत समूह ए में पदोन्नति के लिए समूह बी में इन तीन फीडर चैनलों पर 6:1:2 का एक नया कोटा नियम लागू किया जाना था। इस न्यायालय ने पाया कि प्रस्ताव बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायसंगत थे और तद्नुसार जहाँ तक समूह ए सेवा में पदोन्नति का सम्बन्ध है, भारत संघ को नियमों में संशोधन करना चाहिए और वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक कलेक्टर के पदों पर 1979 के बाद सभी *तदर्थ* पदोन्नतियों की समीक्षा करनी चाहिए। यह अभ्यास तीन फीडर चैनलों से समूह ए पदों के 50% के पदोन्नति कोटा तक सीमित था, क्योंकि समूह ए में शेष 50% सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था। कुछ अन्य परिणामी निर्देश भी दिए गए। दिनांक 22.11.1996 के निर्णय द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

जैसा कि भारत संघ के जवाबी हलफनामे में कहा गया है, उसके बाद नियमों के नियम 18 को 23.3.1998 को भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह ए (संशोधन) नियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया था। इसके बाद समूह बी में उनकी निरंतर सेवा अवधि के आधार पर

समूह ए में सीमा शुल्क अधीक्षकों (पी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं की वरिष्ठता सूची को भी 1961 से संशोधित किया गया था और एक अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा, 1980 के बाद से *तदर्थ* पदोन्नति की समीक्षा के लिए यूपीएससी से डीपीसी की बैठक बुलाने का अनुरोध करके 1979 की पदोन्नति की समीक्षा का प्रस्ताव भी शुरू किया गया था। भारत सरकार के जवाबी हलफनामे में सहायक आयुक्त (समूह ए) और उपायुक्त के स्तर पर पदोन्नति की समीक्षा के विभिन्न अन्य चरणों का उल्लेख किया गया था। सभी पदोन्नतियों की समीक्षा पूरी होने के बाद तीन फीडर श्रेणियों से पदोन्नत किए गए समूह ए में सीधी भर्ती के अधिकारियों और समूह बी से पदोन्नत लोगों को मिलाकर सहायक आयुक्तों की एक अंतिम सूची लाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इस बीच में यूपीएससी द्वारा की जाने वाली समीक्षा में देरी को देखते हुए, समूह ए पदों पर अतिरिक्त '*तदर्थ* पदोन्नति करना आवश्यक हो गया था। चूँकि इन *तदर्थ* पदोन्नतियों का बड़ा हिस्सा केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह बी के अधीक्षकों की फीडर श्रेणी से नहीं आया था, इसलिए उन्होंने इन *तदर्थ* पदोन्नतियों पर सवाल उठाते हुए 1997 का डब्ल्यू.पी.651 दायर की थी। उन्होंने सरकार के दिनांक 8.6.89 के निर्णय की व्याख्या और उसके बाद 1998 में नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में भी सवाल उठाए। आई.ए. संख्या 4 सीधी भर्ती सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दायर

किया गया था। आई ए संख्या 6 सीमा शुल्क अधीक्षक (पी) द्वारा दायर किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने 1997 की अवमानना याचिका संख्या 513 दायर की और इस न्यायालय ने 6.4.1998 को इसे आईए के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया। IA 8 1997 के W.P के 651 के साथ जाता है। हम इन मामलों से एक के बाद एक निपटेंगे।

1997 की रिट याचिका संख्या 651:

डब्ल्यू.पी. 1997 की संख्या 651 का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती श्यामला पप्पू ने किया जिसके याचिकाकर्ता ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गजेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो समूह बी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक हैं, जो तीन फीडर समूहों में से पहले का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका तर्क है कि भारत संघ के दिनांक 8.6.89 के प्रस्ताव का सही आधार जैसा कि उसके पैरा 4 और पैरा 6.1 में दर्शाया गया है, यह है कि हर समय समूह बी में अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क अधीक्षक (रोकथाम) और सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताों की तीन फीडर श्रेणियों से 6: 1: 2 का अनुपात समूह ए पदों में दर्शाया जाएगा। उनका तर्क है कि इस न्यायालय ने दिनांक 22.11.96 के फैसले में यही स्वीकार किया था और इस सिद्धांत को 1998 में संशोधित नियमों में भी शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन नियमों के पीछे भी मंशा यही है कि हर समय, जब भी

गणना की जानी हो, समूह ए श्रेणी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों में 9 में से 6 के अनुपात में समूह बी से पदोन्नत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षकों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवहार में, इनमें से अधिकांश अधिकारी वृद्ध हो चुके हैं और पदोन्नत होते ही, वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि अनुपात को समूह ए में पदों की तुलना में लागू किया जाना चाहिए न कि समूह ए में रिक्तियां उत्पन्न होने पर। यदि रिक्तियां आने पर अनुपात लागू किया जाता है, तो भले ही कुछ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी को उपरोक्त कोटा के अनुसार पदोन्नति मिलती है, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी श्रेणी से आने वाले इन पदोन्नतियों की लगातार सेवानिवृत्ति के कारण समूह ए पदों में 9 में से 6 का आवश्यक अनुपात हमेशा बनाए नहीं रखा जाएगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा *आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य,* [1995] 2 एस सी सी 745 पर निर्भर किया गया।

इस तर्क का प्रत्यर्थीगण के लगभग सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अर्थात् भारत संघ के लिए श्री अनूप चौधरी, अन्य फीडर श्रेणियों के लिए श्री राजीव धवन और श्री पी.पी. राव ने विरोध किया। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता दिनांक 8.6.89 के प्रस्तावों के पैरा 6.3 पर निर्भर करते हैं, जिसमें रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और साथ ही

पंजाब राज्य बनाम डॉ. आर.एन. भटनागर, [1998] 6 स्केल 642 पर भी निर्भर करते हुए यह तर्क दिया कि हमारे सामने पदोन्नति से संबंधित कोटा नियम में, एक उत्पाद अधीक्षक समूह ए की सेवानिवृत्ति के कारण उच्च संवर्ग में रिक्ति को भरने का कोई सवाल ही नहीं है, जो उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी के कैडर से पदोन्नत किया गया, समूह बी में उसी फीडर समूह के एक अन्य अधिकारी द्वारा।

इसलिए मुद्दा केंद्र सरकार के दिनांक 8.6.89 के प्रस्तावों के पीछे के सच्चे इरादे पर आता है, जिसका मूल पाठ इस न्यायालय के पहले के फैसले में शामिल किया गया है और साथ ही निर्णय के अनुसार 1998 में संशोधित नियमों की व्याख्या पर। चूँकि प्रश्न मुख्य रूप से दिनांक 8.6.89 के प्रस्तावों के विभिन्न पैराग्राफ की व्याख्या पर निर्भर करता है, इसलिए पुनः यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है:

"16. प्रस्ताव के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

2.2. उपरोक्त तीन फीडर संवर्गों में से प्रत्येक की वरिष्ठता सूची स्थानीय है और प्रत्येक कलक्ट्रेट/कस्टम हाउस द्वारा संधारित किया जाता है। पहले दो फीडर संवर्ग की अखिल भारतीय सूची प्रत्येक स्थानीय कैडर की परस्पर वरिष्ठता के रख-रखाव के अधीन ग्रेड में नियमित सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर तैयार की जाती है। तृतीय फीडर कैडर (अर्थात, सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता) में परस्पर रैंकिंग गृह मंत्रालय के

कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55- आरपीएस दिनांक 22.12.1959 (जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/2/80-स्था. (डी) दिनांक 7.9.1986 द्वारा संशोधित किया गया था), भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'ए' के गठन से पहले नियम, 1987 के गठन से पहले निर्धारित 'केंद्रीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के सामान्य सिद्धांतों' (आमतौर पर कोटा-रोटा सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है) के अनुसार थी। 1987 के इन नियमों में नियम 18 के उपनियम (2) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि-

(ए) पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां उपरोक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की तीन समूह 'बी' श्रेणियों की सामान्य वरिष्ठता सूची के अनुसार भरी जाएंगी।

(बी) समूह 'ए' में पदोन्नति की पात्रता के लिए सेवा के समूह 'बी' फीडर श्रेणियों में अधिकारियों की वरिष्ठता उनके संबंधित समूह 'बी' श्रेणियों में उनकी नियमित सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी, शर्त यह है कि सेवा की प्रत्येक फीडर श्रेणी में *परस्पर* वरिष्ठता बनाए रखी जाएगी।

3.1 सहायक कलेक्टर/वरिष्ठ अधीक्षक समूह 'ए' के ग्रेड में पदोन्नति के लिए कोटा में विभिन्न फीडर संवर्गों के समूह 'बी' अधिकारियों की

वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रश्न कई मामलों में विवाद का विषय रहा है और जो दुर्भाग्य से अब तक इस प्रकार अनसुलझा रहा है। अलग-अलग फीडर संवर्ग के अधिकारियों की ओर से दावे-प्रतिदावे किये गये हैं। वर्तमान में भी, यह विवाद अन्य बातों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाओं का विषय है।

3.2 विभिन्न फीडर संवर्गों के अधिकारियों की पदोन्नति की उचित संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस लंबे समय से लंबित विवाद को हल करने की दृष्टि से एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए एक बार फिर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। उम्मीद और आशा है कि सभी सम्बन्धित पक्षों की ओर से सद्भावना और तर्क की भावना को देखते हुए, एक ऐसा समाधान ढूँढना संभव होना चाहिए जो दोनों धाराओं - अर्थात् सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से समाधान ढूंढना उचित और निष्पक्ष हो।

4. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने समूह 'ए' प्रवेश ग्रेड पदों (वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक कलेक्टर) की प्रकृति का जायजा लिया है जो विवाद का विषय है। इस प्रयोजन के लिए, समूह 'ए' सेवा के प्रवेश ग्रेड में पदों की कुल संख्या को, प्रत्येक पद को निष्पादित करने के लिये आवश्यक कार्यों के आधार पर (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क पदों और (ii) सीमा शुल्क पदों के रूप में विभाजित किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क पदों के तहत

पूर्ण या मुख्य रूप से कार्य करने के लिए पदों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सीमा शुल्क अधिनियम के तहत पूर्ण या मुख्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पदों को सीमा शुल्क पदों के रूप में माना गया है। इस प्रकार निकाला गया अनुपात निदेशालय और सीईजीएटी में सामान्य पदों को विभाजित करने के लिए लागू किया गया है यह गणना केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क पदों के बीच 65:36 का अनुपात देती है। चूंकि पदों और उन पर काम करने वाले व्यक्तियों को अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आंकड़ों को 67:33 तक पूर्णांकित किया गया है ताकि 2: 1 का व्यावहारिक अनुपात दिया जा सके।

5.1 प्रस्ताव यह है कि वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक कलेक्टर के समूह 'ए' ग्रेड में पदोन्नत कोटा रिक्तियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समूह 'बी' अधिकारियों से 2:1 के अनुपात में भरा जा सकता है, सीमा शुल्क समूह 'बी' अधिकारियों के हिस्से में आने वाली रिक्तियों की संख्या को सीमा शुल्क के दो फीडर कैडरों - अर्थात्, सीमा शुल्क मूल्यांकक और सीमा शुल्क (निवारक) अधीक्षकों के बीच उनके संबंधित स्वीकृत शक्ति के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। (जिसे व्यावहारिक अनुपात में पूर्णांकित करने पर 2: 1 आता है)।

5.2 सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं और सीमा शुल्क (पी) अधीक्षकों के बीच सीमा शुल्क समूह 'बी' अधिकारियों के हिस्से में रिक्तियों की संख्या

को और उप-विभाजित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है क्योंकि: (ए) सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं और सीमा शुल्क (पी) अधीक्षक के दो फीडर कैडर) अलग- अलग हैं, (बी) उनकी वरिष्ठता सूचियां अलग हैं, (सी) जबकि सीमा शुल्क (पी) अधीक्षक ग्रेड पर भर्ती 100% पदोन्नति द्वारा होती है, सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं के मामले में, यह 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा होती है और (डी) एमएचए/डीओपीएंडटी द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में, जहां एक से अधिक फीडर कैडर हैं, जिस उच्च ग्रेड में पदोन्नति की जानी है, उसमें वरिष्ठता सूची तैयार करते समय प्रत्येक फीडर कैडर की *परस्पर* वरिष्ठता को बनाए रखना आवश्यक है, जो कि आईसी और सीईएस समूह 'ए' के 1987 के भर्ती नियमों में पदोन्नति भी है।

6.1 यह देखा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'बी' अधिकारियों को समूह 'सी' में बहुत लंबे वर्षों की सेवा करने के बाद समूह 'बी' में पदोन्नति मिलती है और, परिणामस्वरूप, वे सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं की तुलना में अधिक आयु वर्ग के होते हैं। इसलिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों को पहले रखने और उसके बाद सीमा शुल्क अधिकारियों को पदोन्नति पैनल में रखने से सीमा शुल्क अधिकारियों को कोई सारवान नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों का आयु समूह, कुल मिलाकर, ऐसा है कि वे डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड में अगली पदोन्नति के

लिए अपनी बारी आने से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब तक, भारत में कहीं भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क का शायद ही कोई डिप्टी कलेक्टर हो जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में समूह 'बी' से पदोन्नत हो; केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी आम तौर पर सहायक कलेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त होंगे, जिससे सीमा शुल्क क्षेत्र के कम आयु वर्ग के अधिकारियों के लिए डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड में अगली पदोन्नति की संभावना बढ़ जाएगी।

6.2 कुल मिलाकर, सीधी भर्ती सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ताओं की तुलना में सीमा शुल्क (पी) अधीक्षकों के मामले में भी ऐसी ही स्थिति होगी। इसलिए, संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में उचित स्थान निम्नलिखित क्रम में हो सकता है:

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह 'बी'

(ii) सीमा शुल्क अधीक्षक (पी) समूह 'बी'

(iii) सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता।

6.3 संक्षेप में, उपरोक्त सूत्र के अनुसार, समूह 'बी' फीडर कैडरों के लिए पदोन्नति कोटा में 9 रिक्तियों के प्रत्येक समूह को 6:1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जिसमें क्रमशः केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, सीमा शुल्क (पी) अधीक्षक और सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे। उदाहरण के लिए, यदि समूह 'ए' प्रवेश बिंदु में पदोन्नत कोटा के लिए 9 रिक्तियां मौजूद हैं, तो पहली छह रिक्तियां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षकों के

लिए, सातवीं रिक्तियां सीमा शुल्क (पी) अधीक्षकों के लिए और आठवीं और नौवीं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जाएंगी; आगे की रिक्तियों को उपरोक्त क्रम में एक 'चक्र' के आधार पर भरा जाना है।

7. समूह 'ए' में पदोन्नति करने के उद्देश्य से एक ओर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों की अलग-अलग विचार सूची होगी, और दूसरी ओर मूल्यांककों (सीधी भर्ती और पदोन्नत दोनों) और सीमा शुल्क के निवारक अधीक्षकों की अलग-अलग विचार सूचियाँ पहले अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जायेगी। जबकि दो फीडर कैडर के समूह 'बी' अधिकारियों - अर्थात्, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक और सीमा शुल्क (पी) के अधीक्षक - को समूह 'बी' उनकी निरंतर सेवा अवधि के आधार पर उनकी संबंधित विचार सूची में रखा जा सकता है। भारत संघ के अंतर्गत सभी सेवाओं पर 22.12.1959 और 7.2.1986 को प्रसारित किया गया व लागू किया गया कि मूल्यांकनकर्ताओं के फीडर कैडर के समूह 'बी' अधिकारियों को एमएचए/डीओपीएंडटी के निर्देशों में समय-समय पर निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार कोटा-रोटा के सिद्धांतों के आधार पर उनकी सूची में रखा जा सकता है।

भारत सरकार के दिनांक 8.6.89 के उपरोक्त प्रस्तावों के पैरा 4 से यह ध्यान में आएगा कि उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के बीच समूह 'बी' से समूह 'ए' में पदोन्नति

2:1 या 6:3 के अनुपात में होनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि 6 पदोन्नतियां केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी से होंगी, उसके बाद सीमा शुल्क विभाग के लिए अगली 3 पदोन्नति में से, एक अधीक्षक (पी) सीमा शुल्क और 2 सीमा शुल्क मूल्यांकक समूह बी में होगी। पदोन्नति का क्रम भी अधीक्षक उत्पाद शुल्क, अधीक्षक (पी) सीमा शुल्क और मूल्यांकक सीमा शुल्क के बीच 6:1:2 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। अर्थात् इन तीन फीडर चैनलों से क्रमशः पहले 6, फिर 1 और अंत में 2 । *पैरा 6.1* में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह ए - केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी से पदोन्नत - बार-बार सेवानिवृत्त होने के तथ्यात्मक पहलू को संदर्भित करता है। *पैरा 6.3* एक उदाहरण देता है कि समूह ए में रिक्तियां, जब भी उत्पन्न हों, उन्हें कैसे भरा जाना चाहिए।

हमारी राय में, रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हर समय समूह ए पदों में प्रत्येक 9 समूह ए पदों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी के 6 पदोन्नतियों का अनुपात होना चाहिए। ऐसा इरादा दिनांक 8.6.89 के प्रस्तावों के पैरा 4 या पैरा 6.1 या 1998 में संशोधित नियमों का पालन नहीं करता है।

यह देखा जाएगा कि प्रस्ताव 8.6.89 से पहले, समूह ए में पदोन्नति के उद्देश्य से तीन फीडर समूहों के बीच कोई कोटा नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि पदोन्नति सेवा की अवधि या निरंतर स्थान के आधार पर की

जा रही थी। लेकिन फिर, कुछ समय बाद यह पाया गया कि इस तरह की प्रक्रिया ने तीन फीडर समूहों के बीच विभिन्न शिकायतें पैदा कीं। इसलिए, कोटा प्रणाली की शुरूआत आवश्यक पाई गई। फिर विभाग के सामने अगला प्रश्न यह था कि विभिन्न समूहों के बीच कोटा कितना होना चाहिए। जाहिर है, यह तीन फीडर समूहों के बीच समूह ए पदों का समान वितरण प्रदान करने वाला होना चाहिये। उस उद्देश्य के लिए विभाग दो मुख्य समूहों, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभागों में विशिष्ट कार्य करने वाले पदों के प्रश्न पर गया और फिर यह सीमा शुल्क अधिकारियों के दो उप समूहों में उसी प्रश्न पर गया। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के दो मुख्य समूहों में पदों की संख्या का पता लगाने के बाद, यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समूहों के बीच 2:1 या 6:3 का कोटा उचित होगा और 1:2 का एक और उप-कोटा। सीमा शुल्क विभाग में दो उप श्रेणियों के बीच की तरह ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि 6:1:2 का कोटा इसी प्रकार प्राप्त किया गया है। हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि, पूरे पैरा 4 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यही सब अभिप्राय था *पैरा 4* का और उक्त *पैरा 4* में यह कभी इरादा नहीं था कि समूह ए अधिकारियों की पदोन्नत श्रेणी में, समूह ए में प्रत्येक 9 पदों के लिए उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह बी से हमेशा 6 पदोन्नत होने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने *पैरा 6.1* पर भी भरोसा किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि *पैरा 6.1* में उन समूह ए अधिकारियों की लगातार सेवानिवृत्ति का संदर्भ दिया गया है, जिन्हें उत्पाद शुल्क अधीक्षकों समूह बी की श्रेणी से पदोन्नत किया गया है। लेकिन उस तथ्य को, हमारी राय में, 9 रिक्तियों के प्रत्येक चक्र में समूह ए में पहली 6 रिक्तियों में पदोन्नति के लिए उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी को प्राथमिकता देने के सीमित उद्देश्य के लिए संदर्भित किया गया है। *पैरा 6.1* में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि समूह ए में पदोन्नति पर उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी की सेवानिवृत्ति के कारण, ऐसी प्रत्येक रिक्ति केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी से किसी अन्य अधिकारी की पदोन्नति से भरी जानी है

इसलिए प्रत्यर्थी पैरा 6.3 पर भरोसा करने में सही हैं। वह पैरा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है कि जब भी समूह ए में रिक्तियां आती हैं, तो पहले 6 रिक्तियां उत्पाद अधीक्षक समूह बी से 6 को दें, फिर अगली रिक्ति सीमा शुल्क अधीक्षक (पी) को दें और फिर आगे की दो रिक्तियां उसी क्रम में सीमा शूल्क मूल्यांकक को दें। इस प्रकार, पैरा 4, 6.1 और 6.3 के विश्लेषण पर, हमें उक्त पैरा के बीच किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं मिलता है। दूसरी ओर, वे एक सामंजस्यपूर्ण योजना बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक बार जब इन तीन फीडर श्रेणियों के अधिकारियों को समूह ए में पदोन्नत किया जाता है, तो समूह

ए की पदोन्नत बी श्रेणी में समूह बी के उनके जन्म चिन्ह नहीं रह जाते हैं। तब समूह ए में बनाई गई रिक्ति को एक पदोन्नत उत्पाद अधीक्षक समूह बी की उसी समूह के किसी अन्य अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति से भरने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक बार समूह ए में पदोन्नत होने के बाद फीडर चैनल की पहचान जहां से उन्हें पदोन्नत किया जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा *आर.के.सभरवाल* के मामले (1995) 2 एससीसी 745 पर जोर दिया गया। यह मामला इस सिद्धांत से संबंधित है कि एससी/एसटी वर्ग से भर्ती किए गए अधिकारी द्वारा रिक्त पद केवल उसी आरक्षित वर्ग से भरे जाने चाहिए। ऐसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित विशेष प्रावधान के कारण है। वहां पदोन्नति पर भी जन्म चिन्ह बने रहते हैं, क्योंकि पदोन्नति श्रेणी में कुछ विशेष पद केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच से भरे जाने के लिए आरक्षित हैं। दूसरी ओर, जहां तक भर्ती या पदोन्नति के लिए दो फीडर चैनलों के बीच सामान्य कोटा नियम का सवाल है, चाहे वह सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच हो या विभिन्न फीडर समूहों के बीच कोटा द्वारा पदोन्नति हो (जैसा कि हमारे सामने मामला है), प्रासंगिक उदाहरण हैं, *परमजीत सिंह और अन्य बनाम राम राखा और अन्य*, (1982) 3 एससीसी

191 और *पंजाब राज्य और अन्य बनाम डॉ. आर.एन. भटनागर और अन्य*, [1998) 6 स्केल 642। परमजीत सिंह के मामले में जो पदोन्नत और सीधी भर्ती से भर्ती से संबंधित है, डीए देसाई, जे. ने बताया कि यदि सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच कोटा नियम को आरक्षण के नियम के रूप में माना जाता है, तो इसका कारण यह है कि पदोन्नत लोगों की बार-बार सेवानिवृत्ति, जो आम तौर पर सेवानिवृत्ति के करीब थे, पदोन्नति पदों में अधिकांश रिक्तियां बार-बार वृद्ध पदोन्नत लोगों के पास चली जाती थीं, जिससे सीधी भर्ती के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती थी। पृष्ठ 196 पर, विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार स्पष्ट किया:

> "ऐसा कहते समय इस न्यायालय का क्या मतलब था कि जब किसी कैडर में भर्ती के लिए कोटा नियम निर्धारित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि कोटा उन रिक्तियों से सह-संबंधित होना चाहिए जिन्हें भरा जाना है। कौन सेवानिवृत्त हुआ और किस स्रोत से उसकी भर्ती की गई, यह प्रासंगिक नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा से सेवानिवृत्ति कोटा नियम का पालन नहीं कर सकती है।"

विद्वान न्यायाधीश ने आगे बताया:

"जो पदोन्नत लोग अधिक उम्र में सेवा में आते हैं, वे जल्दी सेवानिवृत्त हो सकते हैं और सीधी भर्ती से जो अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवा में आते हैं, वे लंबे समय तक सेवा में बने रह सकते हैं। इसलिए, यदि किसी दिए गए वर्ष में बड़ी संख्या में पदोन्नत लोग सेवानिवृत्त होते हैं और हर बार रिक्ति उस स्थान का हवाला देकर भरी जाती है जहां से सेवानिवृत्त व्यक्ति की भर्ती की गई थी, तो यह कोटा नियम को काफी हद तक परेशान कर देगा। इसलिए, भर्ती करते समय कोटा नियम का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।"

उस मामले के तथ्यों पर, यह बताया गया कि भर्ती के लिए कोटा पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले लोगों के बीच 4:1 था और इसलिए, 'जब भी सेवा में रिक्तियां होती हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारी को कोटा के अनुसार भर्ती करनी होती है। दूसरे शब्दों में, जब भी रिक्तियां आती है, तो पहले रिक्तियों का उपयोग करके कारकों या परिस्थितियों की परवाह किये बिना 4 पदोन्नत लोगों की भर्ती करें और जैसे ही 4 पदोन्नत लोगों की भर्ती की जाती है, सीधी भर्ती करे।

पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम आर.एन. भटनागर और अन्य, [1998] 6 स्केल 642 में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। यह फिर से अतिरिक्त प्रोफेसरों की श्रेणी से प्रोफेसरों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती का मामला था - और सीधी भर्ती के माध्यम से, 3:1 के अनुपात में। प्रोफेसरों के कैडर में 3 रिक्तियों का कोटा रखने वाले पदोन्नत फीडर समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त प्रोफेसरों ने तर्क दिया कि जब भी कोई प्रोफेसर सेवानिवृत्त होता है, तो यह पता लगाना होता है कि वह पदोन्नत था या सीधी भर्ती वाला था। यदि रिक्ति किसी पदोन्नत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से सृजित हुई हो, तो पदोन्नति संवर्ग में उक्त रिक्ति को केवल निचले संवर्ग के पदोन्नत व्यक्ति द्वारा भरा जाना था, न कि सीधी भर्ती के माध्यम से। *सभरवाल* के मामले पर प्रवर्तकों द्वारा उक्त तर्क रखा गया था। इस न्यायालय ने *सभरवाल* के मामले को आरक्षण की एक योजना से संबंधित माना और पाया कि पदोन्नति और सीधी भर्ती के बीच कोटा की प्रणाली में, एक बार उच्च कैडर में पद भर दिया गया, उसके बाद यदि रिक्तियां सेवानिवृत्ति से उत्पन्न हुईं (मान लीजिए), तो रिक्ति को श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति के रूप में मानने की अनुमति नहीं थी जिससे सेवानिवृत्त व्यक्ति पदोन्नत होने या भर्ती होने से पहले संबंधित था। एक बार जब भर्ती दो चैनलों से की गई, तो जन्मचिह्न मिट गए। जैसा कि *जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा,* [1974] 1 एससीआर 771] में कहा गया है। *डॉ. भटनागर* का मामला [1998] 6 स्केल 642,

मजमुदार, जे. ने (पृष्ठ 652 पर) इस प्रकार देखा:

> "विभागीय पदोन्नत और सीधी भर्ती के प्रतिशत का कोटा एक निश्चित समय पर आने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए रोस्टर बिंदुओं के आधार पर तय किया जाना है। जैसा कि पहले कहा गया है, 3 पदोन्नत और एक सीधी भर्ती के लिए रोस्टर के रूप में भर्ती आगे बढ़ती है, सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्ति को सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति द्वारा या पदोन्नत व्यक्ति द्वारा बनाई गई रिक्ति को पदोन्नत व्यक्ति द्वारा भरने का कोई सवाल ही नहीं है। सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की पहचान के बावजूद, 3 पदोन्नतियों और एक सीधी भर्ती के अग्रिम प्रस्ताव द्वारा पद भरा गया।"

हमारे सामने मौजूद मामले में 6:1:2 के कोटा के संबंध में स्थिति अलग नहीं है।

उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती श्यामला पप्पू के तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं।

रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सारणीबद्ध बयानों

के माध्यम से कुछ डेटा प्रस्तुत किया, जिससे पता चला कि उत्पाद समूह बी के अधीक्षकों से पदोन्नत समूह ए में लोगों की संख्या कम हो रही है और पदोन्नत पद पर 9 में से 6 नए हैं। लेकिन, हमारे विचार में, यह सामान्य कोटा के मामले में समस्या को आरक्षण की योजना से अलग देखने का तरीका नहीं है। भारत सरकार के प्रस्ताव दिनांक 8.6.89 के पैरा 6.3 में बताई गई प्रक्रिया हमें सही प्रतीत होती है। हम पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। इसमें कहा गया है कि यदि समूह ए पदों में रिक्तियां उत्पन्न होती हैं (समूह ए में सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा से अलग पदोन्नति के 50% कोटा के लिए) तो उन्हें तीन फीडर श्रेणियों में से भरा जाना है, पहली छह रिक्तियां समूह बी में अधीक्षक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सातवीं रिक्ति सीमा शुल्क (पी) अधीक्षक और आठवां और नौवां सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता समूह। वह एक चक्र पूरा करता है। समूह ए में आगे की रिक्तियां आने पर उन्हें उसी प्रक्रिया का पालन करके उन्हें दोबारा भरा जाएगा। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा एक शिकायत उठाई गई थी कि समूह ए में पदोन्नति के लिए यूपीएससी द्वारा नामों पर विचार किए जाने तक, समूह ए में *तदर्थ* पदोन्नति की गई है और प्रथम फीडर श्रेणी के सदस्यों, अर्थात् उत्पाद शुल्क समूह बी के अधीक्षकों को पदोन्नत नहीं किया गया था। ऐसा खासतौर पर पहले के फैसले के बाद हुआ था। दूसरे शब्दों में, शिकायत यह है कि उक्त *तदर्थ* पदोन्नतियों के लिए 6:1:2 के कोटा नियम का पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत संघ का उत्तर यह है कि

यह पाया गया है कि पहले याचिकाकर्ताओं की श्रेणी उत्पाद शुल्क अधीक्षक समूह बी से समूह ए में अतिरिक्त पदोन्नति हुई है और इसलिए वर्तमान में, अन्य दो फीडर चैनलों से अधिक अधिकारी *तदर्थ* आधार पर पदोन्नत किया गया है। ताकि अंतिम समीक्षा होने पर कोई असंतुलन न हो। यह मानते हुए भी कि *तदर्थ* पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए 6:2:1 के अनुपात का पालन करना उचित होगा, प्रत्यर्थीगण ने *तदर्थ* पदोन्नति करते समय उक्त अनुपात का पालन न करने के लिए पर्याप्त औचित्य दिखाया है। इस प्रकार यदि कोटा में इन समूहों में से किसी को पहले अधिक पदोन्नति मिली है और यदि भारत सरकार उक्त लाभ की भरपाई करना चाहती है, तो ऐसी कार्रवाई को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त कारणों से रिट याचिका संख्या 1997/651 खारिज किये जाने योग्य है। आई.ए 8 में भी वही बिंदु उठाए गए हैं और उन्हीं कारणों से, उक्त आई.ए भी बर्खास्त किए जाने योग्य है।

आई.ए संख्या 4 में आवेदक सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता (सीधी भर्ती) हैं और उनके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव धवन का तर्क है कि यह पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय के दिनांक 22.11.96 के फैसले के कार्यान्वयन के लिए यह न्यायालय कुछ समय सीमा तय करे। सीधी भर्ती वाले सहायक कलेक्टरों और उनके कोटे के भीतर पदोन्नत सहायक कलेक्टरों की *परस्पर* वरिष्ठता सूची तैयार करना और सभी पदोन्नतियों की

समीक्षा करने का निर्देश दे। कुछ उचित समय-सीमा तय करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

आई.ए संख्या 6 एवं आई.ए संख्या 7 जुड़े हुए हैं। आई.ए संख्या 7, आई.ए.संख्या 6 को दाखिल करने की अनुमति के लिए दायर किया गया है। आई.ए. संख्या 6 सीमा शुल्क अधीक्षकों (पी) द्वारा दायर किया गया है और उनके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.पी.राव ने तर्क दिया कि 6:1:2 का अनुपात 1989 की कैडर क्षमता पर आधारित था और उक्त अनुपात अब उपलब्ध कैडर क्षमता या पदों के आधार पर बदला जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसा सिद्धांत भारत सरकार के दिनांक 8.6.89 के प्रस्तावों में पहले से ही अंतर्निहित था जैसा कि पहले के फैसले में निकाला गया था। उनके अनुसार विभाग को यह मानकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि 6:1:2 के अनुपात का हर समय पालन किया जाना है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब तक एक विशेष कोटा एक नियम द्वारा तय किया जाता है, तब तक इसका पालन करना होगा जब तक कि संबंधित नियमों के उचित संशोधन द्वारा उसमें निर्धारित कोटा को बदल नहीं दिया जाता है। जैसा कि *वी.बी. बादामी बनाम मैसूर राज्य*, [1976) 2 एससीसी 901, 910 पर अभिनिर्धारित था। जो कोटा तय है उसे केवल कोटा के नए निर्धारण द्वारा ही बदला जा सकता है। यह आवेदकों पर

निर्भर करेगा कि वे ऐसे कदम उठाएं जो वे उचित समझें, यदि वे मौजूदा कोटा के बारे में व्यथित महसूस करते हैं लेकिन इस आईए को दाखिल करना उचित उपाय नहीं है। हम यह मानने को भी तैयार नहीं हैं कि भारत सरकार के 8.6.89 के प्रस्तावों में ही समय-समय पर कोटा में निरंतर परिवर्तन की कल्पना की गई थी। हमारे विचार में, इस तरह का बदलाव नए सिरे से किया जाना चाहिए और यह आवेदकों पर निर्भर है कि वे इसके लिए मामला बनाएं और ऐसे संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका संख्या 651/1997 और आई.ए. संख्या 8 खारिज की जाती हैं। आई.ए. संख्या 7 को आई.ए. संख्या 6 दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन आई.ए. संख्या 6 को खारिज करते हुए यह आवेदकों पर छोड़ा जाता है कि वे कोटे में बदलाव के लिए मामला बनाएं और उचित कदम उठाएं जो आवेदक उचित समझें। हम ऐसे दावे के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। उपरोक्त सभी मामलों का निस्तारण ऊपर बताए अनुसार किया जाता है।

1988 की रिट याचिका संख्या 306 में आईए नंबर 4, भारत संघ को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 1988 की रिट याचिका संख्या 306 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.1996 के प्राप्ति की दिनांक से यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में छह महीने की अवधि के भीतर इस

निर्णय को लागू करने के लिए कदम उठाए।

आई.ए क्रमांक 4, 6 का निस्तारण किया गया।

आई.ए नंबर 5 को बर्खास्त कर दिया गया।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **देवेन्द्र प्रकाश शर्मा** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)